न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 06/2013

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
रेखाराम पुत्र उदाराम जाति दर्जी निवासी शिवपुरा (गिड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1. ग्राम पंचायत गिड़ा जरिये सरपंच 2. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी सिसोदिया पाना (गिड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.9.1981 जो ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री भंवरलाल एडवोकेट अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
2. प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (ग्राम स्थान)

निर्णय दिनांक 30.6.2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.9.1981 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा आबादी भूमि पर विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.9.1981 अवैध एवं अनियमित कार्यवाही कर जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा को राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए विप्रार्थी संख्या 02 को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से निःशुल्क पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त किया जावें।
3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गिड़ा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व केम्प कोर्ट गिड़ा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तामील करा दी गई थी। अप्रार्थी सं0 02 की ओर श्री भंवरलाल एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे।

5. प्रार्थी ने जाहिर किया गया कि ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा आबादी भूमि में राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया परन्तु उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सूचना जारी कर आक्षेप/आपतियॉ मांगी गई एवं न ही भूखण्ड का मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा कोई संकल्प अथवा अन्य कोई विधिक कार्यवाही नही की गई। आलौच्य पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 1.10.2981 को प्राप्त किया गया जबकि पट्टा दिनांक 27.9.1981 को जारी किया गया है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा निरस्त करवाया जावें।

6. अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान वकील द्वारा जाहिर किया गया कि मेरे मुवक्किल अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा वर्ष 1981 में पट्टा जारी किया गया है, जिस पर वर्तमान में उसका कब्जा एवं रहवास है। वर्ष 1981 में जारी किये गये पट्टे निरस्त करवाने हेतु 33 साल बाद निगरानी पेश करने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत गिड़ा के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत गिड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 1983–84 से पूर्व जारी किये गये पट्टे, भूमि विक्रय अभिलेख आदि से सम्बन्धित किसी प्रकार का रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.9.1981 की जो फोटो प्रति पेश की गई है, वो सत्यापित नहीं है। ग्राम पंचायत के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से यह निर्णय किया जाना कठिन हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 को तत्समय जारी किया गया पट्टा राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित प्रकिया अनुसार जारी किया गया है अथवा नहीं? लिहाजा प्रार्थी की अपील खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जाती है एवं पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.9.1981 को यथावत रखा जाता है।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)
(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलेक्टर,बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय केम्प कोर्ट गिड़ा में आज दिनांक 30.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलेक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर